

ई-मेल

बजट आवंटन/आयोजनागत

प्रेषक,

आयुक्त,  
ग्राम्य विकास,  
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

समस्त मुख्य विकास अधिकारी,  
उत्तर प्रदेश।

पत्रांक-सी-27/बजट/एवीआरवाई/एससीएसपी/2013 दिनांक 12 मार्च, 2013

विषय:- अम्बेडकर विशेष रोजगार योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2012-13 हेतु अनुदान संख्या-83 (एस0सी0एस0पी0 मद) में धनराशि के आवंटन के सम्बन्ध में।

महोदय,

शासनादेश संख्या-215/26-ब0प्र0-06एवीआरवाई/2011 दिनांक 18.5.2012 (छाया प्रति संलग्न) द्वारा अम्बेडकर विशेष रोजगार योजनान्तर्गत अनुदान संख्या-83 में वित्तीय वर्ष 2012-13 हेतु आय-व्ययक में प्राविधानित रू06,00,00,000/- में से रू02,00,00,000/- (रू0दो करोड़ मात्र) आयुक्त, ग्राम्य विकास के निर्वतन पर रखी गयी है। पुनः शासनादेश संख्या-159(1)/38-6-13-7ए0वी0आर0वाई0/10 दिनांक 28-2-2013 (छाया प्रति संलग्न) द्वारा धनराशि रू02,00,00,000/- के व्यय किये जाने की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गयी है। शासन द्वारा दी गयी स्वीकृति के क्रम में रू02,00,00,000/- (रू0 दो करोड़ मात्र) का आवंटन संलग्नक के कालम-3 में उल्लिखित विवरण के अनुसार एवं निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के तहत किया जा रहा है:-

1. आवंटित की जा रही धनराशि का व्यय शासनादेश संख्या-215/ 26-ब0प्र0-06एवीआरवाई/11 दिनांक 18 मई, 2012 एवं शासनादेश संख्या-159(1)/38-6-13-7ए0वी0आर0वाई0/10 दिनांक 28-2-2013 में उल्लिखित समस्त शर्तों/प्रतिबन्धों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुये किया जायेगा।
2. इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2012-13 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-83 के लेखाशीर्षक-2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम-आयोजनागत-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-05-अम्बेडकर रोजगार योजना-27-सब्सिडी के नामे डाला जायेगा।

..2/-



3. आवंटित धनराशि के आहरण की सूचना बाउचर संख्या एवं दिनांक सहित आहरण माह के अगले माह की 05 तारीख तक इस कार्यालय के बजट अनुभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

संलग्नक:-उपरोक्तानुसार।

भवदीय,



(के० रविन्द्र नायक)


आयुक्त

ग्राम्य विकास, उ०प्र०।

पत्रांक-27 / बजट / एवीआरवाई / एससीएसपी / 2012-13 तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम एवं द्वितीय, उ०प्र० इलाहाबाद।
2. महालेखाकार (आडिट) प्रथम/द्वितीय, उ०प्र० इलाहाबाद।
3. प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास, उ०प्र० शासन।
4. संयुक्त सचिव, बजट प्रकोष्ठ, समाज कल्याण विभाग, उ०प्र०शासन को शासनादेश संख्या-215/26-ब०प्र०-06एवीआरवाई/11 दिनांक 18 मई, 2012 के क्रम में।
5. विशेष सचिव, बजट प्रकोष्ठ, समाज कल्याण विभाग, उ०प्र०शासन को शासनादेश संख्या-159(1)/38-6-13-7ए०वी०आर०वाई०/10 दिनांक 28-2-2013 के क्रम में।
6. समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
7. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उ०प्र०।
8. उपायुक्त (कार्यक्रम), ग्राम्य विकास, उ०प्र०।
9. समस्त संयुक्त विकास आयुक्त/जिला विकास अधिकारी, उ०प्र०।
10. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-2/3, राज्य योजना आयोग अनुभाग-1/2
11. ग्राम्य विकास अनुभाग-3
12. गार्ड बुक।



(यू०एन०उपाध्याय)

अपर आयुक्त (लेखा)

ग्राम्य विकास, उ०प्र०।

